22-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन बाद वादी को उचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर अन्तिम डिक्री जारी की गई। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय उ
ठासीन अधिकारि
जस्व वाद संख्या
1 प्रकाश सिंह
हनुमानगढ़
1 हरदम सिंह
हनुमानगढ़।
2 गुरदास सिंह
हनुमानगढ़।
दाव
1. श्री सुरेन्द्र सि
2. श्री अमरिकसि
वादी द्वारा प्र
स न्यायालय में प्रस्तु
संख्या 1 के नाम से
क्टर व चक 19 एर
रेकार्ड है नकल जम
073–2076 व वाके
श है।
वादी व प्रतिवा
। मुझ वादी के दाव
ारि लसिला विरासतन
मि हिन्दु संयुक्त परिव
र्थ राईट हासिल है चूं
लावा अर्जीदावा की
मझौता) कर लिया है
8 एल.एल.डबल्यू. ए ख
क्टर भूमि मे 1.391 है
तिवादी संख्या 1 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या – 180/2019 अनवान प्रकाशसिंह बनाम हरदमसिंह)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 180/2019

1 प्रकाश सिह पुत्र श्री हरदमसिंह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 हरदम सिह पुत्र नत्थु सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2 गुरदास सिह पुत्र हरदम सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :– 22.08.2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 18 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 101/93 मे 3.036 हैक्टर व चक 19 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 85/72 मे 2.480 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है नकल जमाबंदी वाके चक 18 एल.एल.डबलयू. ए खाता संख्या 101/93 सम्वत 2073–2076 व वाके चक 19 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 85/72 सम्वत 2072–75 हमराह दावा है।

वादी व प्रतिवादीगण एक ही हिन्दु परिवार के सदस्य है, अर्जीदावा मे वर्णित भूमि पूर्व में मुझ वादी के दादा स्व. नत्थु सिह का नाम था जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरदम सिंह पर औद हुई। उक्त भूमि मे हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है चूंकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो चुका है तथा अन्य सम्पति के अलावा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे घरू बंटवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता मुझ वादी को वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 101/93 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 3.026 हैक्टर भूमि मे 1.391 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.645 हैक्टर प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वाके चक 19 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 85/72 मे स्वयं के नाम दर्ज 2.480 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 हरदम सिह के नाम दर्ज वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 101/93 मे 3.026 हैक्टर भूमि मे वादी प्रकाश सिह 1.391 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 गुरदास सिह 1.645 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 101/93 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

लगातार 2

Scanned by CamScanner

3

वादी ने प्रतिवादीगण से इस बाबत निवेदन किया तो पहले तो वे टाल मटोल करते र बाद मे आज से 10 रोज पूर्व मुकाम हिरनावाली मे साफ इन्कार हो गये। यही वाद रण है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार का है जो उचित र्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया वे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 हरदम सिंह के नाम दर्ज वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 101/93 मे 3.026 हैक्टर भूमि मे वादी प्रकाश सिह 1.391 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 गुरदास सिंह 1.645 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 101/93 से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी म् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण नांक 19.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी रा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों रा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उक्त अनवानी करण मे हम पक्षकारान का पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। वादी पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वाके चक नम्बर 18 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 1/93 मे 3.036 हैक्टर व चक 19 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 85/72 मे 2.480 हैक्टर मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पूर्व मे वादी के दादा स्व. नत्थु सिह की भूमि जो उनके फौत होने के पश्चात बसिलसिला विरासतन वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दम सिह पर औद हुई। उक्त भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व तेवादी संख्या 1 व 2 को बर्थ राईट हासिल है चूंकि उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार विभक्त हो का है तथा अन्य सम्पति क अलावा अर्जीदावा की दफा 2 में वर्णित भूमि का आपस मे घरू वारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा पारिवारिक समझौता मुझ दी को वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. ए खाता संख्या 101/93 मे प्रतिवादी संख्या 1 के न दर्ज कुल 3.036 हैक्टर भूमि मे 1.391 हैक्टर भूमि व प्रतिवादी संख्या 2 को 1.645 हैक्टर त हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वाके चक 19 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 85/72 स्वयं के नाम दर्ज 2.480 हैक्टर भूमि प्राप्त हुई है। घरू बंटवारा के रोज से ही वादी व तेवादी संख्या 2 अपने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि पर काबिज रहकर ना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 हरदम सिह के नाम दर्ज वाके 5 18 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 101/93 में 3.026 हैक्टर भमि मे वादी प्रकाश सिह 91 हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 गुरदास सिह 1.645 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार षेत कर वाके चक 18 एल.एल.डबल्यू. खाता संख्या 101/93 से प्रतिवादी संख्या 1 का 1 कलमजन किया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक कर मुताबिक राजीनामा वाद ी डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान को कोई आपति एतराज नही है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में कोयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें स विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

सहायक कलेक्टर उपखण्डाधिकारी

लगातार 3

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 हरदसिंह के नाम चक 18 एल. एल.डब्ल्यू के खाता संख्या 101/93 की 3.036 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 हरदमसिंह के नाम चक 18 एल.एल.डबल्यू. के खाता संख्या 101/93 मे की कुल 3.036 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हरदमसिह पुत्र नत्थूसिंह का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र वादी संख्या 1 प्रकाशसिंह पुत्र हरदमसिंह को 1.391 हैक्टर तथा प्रतिवादी संख्या 2 गुरदाससिंह पुत्र हरदमसिंह को 1.645 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 4

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 180/2019 अनवान प्रकाशसिंह बनाम हरदमसिंह)

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 16:04:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: